**समाचार**

**वल्क अपशिष्ट के परिवहन निष्पादन की व्यवस्था की निगम ने**

**(निर्धारित मोबाईल नम्बर पर सूचना प्राप्त होने पर वाहन भेजकर किया जा रहा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन कार्य)**

कोरबा 05 दिसम्बर 2018 - आयुक्त श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित अपशिष्ट वल्क जनरेटरों, शादी विवाह घरों, होटल, लाज, रेस्टोरेंट आदि से उत्सर्जित वल्क अपशिष्ट के परिवहन व निष्पादन की व्यवस्था की गई है, निगम द्वारा निर्धारित किए गए मोबाईल नम्बर में 77730-02665 एवं 97520-94146 में सूचना प्राप्त होने पर अपना वाहन भेजकर स्थल से वल्क अपशिष्ट का परिवहन कराया जा रहा हैै।

नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत अनेक होटल, शादी घर तथा बडे़ आयोजन स्थल संचालित हैं तथा इनमें काफी संख्या में अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट में से कुछ भाग ऐसे अपशिष्ट का रहता है जिन्हे आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, साथ ही अपशिष्ट का कुछ भाग ऐसा होता है जिसकी रिसाईक्लिंग की जा सकती है तथा रिसाईक्लिंग पश्चात उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है किन्तु अभी तक सभी प्रकार के अपशिष्ट को एक साथ मिला दिया जाता था तथा पुनः उपयोग हो सकने वाले अपशिष्ट अहमियत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, काफी मात्रा में उत्सर्जित होने वाले इस अपशिष्ट के उचित समापन की आवश्यकता को देखते हुए निगम ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए सर्वप्रथम होटल एवं शादी घर संचालकों व आयोजनकर्ताओं से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों से निकले हुए अपशिष्ट को अलग-अलग संग्रहित करवाएं, जिस अपशिष्ट का पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसे पुनः उपयोग में लाए जाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए तथा ऐसा अपशिष्ट जो रिसाईक्लिंग योग्य अपशिष्ट है, उसे रैग पिकर्स या इससे संबंधित व्यवसाय करने वाले लोगों से संपर्क कर उन्हें उपलब्ध कराएं। निगम की इस अपील का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है तथा वल्क जनरेटर इस दिशा में आवश्यक कार्यवाहियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निगम ने इन प्रतिष्ठानों से निकले हुए वल्क अपशिष्ट को संग्रहित कर उसका परिवहन एवं समुचित समापन की दिशा में भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की तथा इस हेतु वल्क अपशिष्ट जनरेटरों से कहा कि वे अपशिष्ट जनरेट होने की स्थिति में निगम के मोबाईल नम्बर 7773002665 एवं 97520-94146 पर इसकी सूचना दें तथा निर्धारित सेवा शुल्क जमा कराएं। वल्क अपशिष्ट जनरेटरों द्वारा उक्त मोबाईल नम्बर पर अपशिष्ट जनरेट की सूचना निगम को दी जाती है एवं निर्धारित सेवा शुल्क निगम कोष में जमा कराया जाता है, तत्पश्चात निगम द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए वाहन भेजकर उक्त अपशिष्ट का उठाव व उसका परिवहन कर उसे डम्पिंग यार्ड तक पहुंचाया जाता है।

**अपशिष्ट प्रबंधन की जवाबदारी उत्सर्जनकर्ताओं की भी-** भारत सरकार नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान नियम 2016 तथा जलवायु परिवर्तन विभाग नई दिल्ली के संशोधित नियम के अनुसार समस्त वल्क अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं को स्वयं ही अपशिष्ट के पृथक-पृथक एकत्रीकरण का नियमानुसार प्रसस्करण व समापन का कार्य करना होगा, नियम के प्रावधानों के अनुसार अधिक मात्रा में अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता तथा 100 अधिक व्यक्तियों की पार्टी आदि की पूर्व सूचना नगर निगम को देते हुए अपशिष्ट एकत्रीकरण हेतु निर्धारित सेवा शुल्क जमा करना होगा।

**मीट मटन अपशिष्ट निपटान सेवा-** नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम क्षेत्र में स्थित मांस, मछली आदि की दुकानों से निकलने वाले अपशिष्ट के निपटान हेतु मीट मटन संयुक्त निपटान सेवा का संचालन किया जा रहा है, इस हेतु पृथक से वाहन की विशेष डिजाईन कर उक्त बंद वाहन के माध्यम से अपने सम्पूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत मीट मटन दुकानों पर पहंुचकर अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सुरक्षित रूप से परिवहन कर समापन स्थल तक लाया जा रहा है तथा इन्सीनेटर में डालकर उक्त अपशिष्ट का सुरक्षित समापन किया जाता है।

**गीला व सूखा कचरा अलग-अलग रखें-**निगम आयुक्त श्री रणबीर शर्मा ने संबंधित प्रतिष्ठानों के साथ-साथ आमजन से भी अपील की है कि वे प्रतिष्ठानों व घरों से निकले हुए सूखे व गीले कचरे को एक साथ न मिलाएं, उन्हें पृथक-पृथक संग्रहित करके रखे, ताकि अपशिष्ट के समुचित निष्पादन में अनावश्यक रूप से दिक्कत न आए। इसके साथ ही उन्होने अपील करते हुए कहा है कि निकले हुए अपशिष्ट को खुले में सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर कदापि न फेंके, नगर को साफ-सुथरा रखने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग  प्रदान करें।